दिनांक 29.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 40/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नव वर्ष के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को नव वर्ष–2025 के अवसर पर सृदृढ़ सुरक्षा–व्यवस्था एवं व्यापक पुलिस प्रबंध आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- नववर्ष से सम्बंधित आयोजनों को सूचीबद्ध करते हुये हाटस्पाट चिन्हित कर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगायी जाय तथा नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाये एवं अग्निजनित दुर्घटना के दृष्टिगत समस्त आयोजन स्थलों पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- नव वर्ष के दृष्टिगत कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील स्थलों व आयोजन स्थलों, होटलों, कल्बों व मनोरंजन गृहों तथा विभिन्न सार्वजनिक भीड़–भाड वाले स्थानो एवं ऐसे स्थान जहाँ नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हों उनके आस–पास तथा प्रमुख बाजारों में समुचित पुलिस प्रबन्ध कर विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अधिक से अधिक पुलिस/पीएसी बल के साथ **दिनांक 31.12.2024 की सांय** से फ्लैगमार्च का प्रभावी आयोजन किया जाय।
- महिलाओं के आवागमन के मार्गो पर समुचित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाय। यूपी–112 के कर्मियों को भी समुचित ब्रीफ करते हुये उनका प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये। महिलाओं से लूट, चेन स्नैचिंग आदि की सम्भावित घटनाओं के रोकथाम हेतु सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये तथा एण्टीरोमियों स्क्वाड को सक्रिंय रखा जाये।
- नववर्ष के अवसर पर युवाओं द्वारा सड़को पर मोटर साइकिल/चार पहिया वाहन तेज गति से चलाये जाने के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना आदि की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग ब्रेथ एनेलाइजर द्वारा प्रभावी तौर पर सुनिश्चित की जाय तथा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाये जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।

- इस अवसर पर विभिन्न क्लब, होटल मॉल, बार व अन्य आयोजन स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर नवयुवकों/कतिपय लोगों द्वारा शराब व अन्य मादक पदार्थो का सेवन कर तेज गति से मोटरसाइकिल व गाड़ियॉ चलायी जाती हैं, जिससे दुर्घटना एवं आराजकता की प्रबल सम्भावना रहती है। जिसके दृष्टिगत **नव वर्ष की पूर्व सध्या** से सभी प्रमुख बाजारो, पार्को, मॉल, मनोरंजन गृहों आदि पर पुलिस पिकेट लगायी जाये तथा मुख्य मार्गों पर प्रभावी चेकिंग व पुलिस व्यवस्थापन कराया जाये।
- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग करायी जाये तथा इस दौरान शरारती/असमाजिक तत्वो को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- नववर्ष के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर दर्शन हेतु भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके दृष्टिगत समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास यातायात प्रबन्धन/सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा आपराधिक/अराजक तत्वों को चिन्हित कर आवश्यकतानुरूप उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- ड्रोन कैमरा से नियमित चेकिंग/निगरानी सुनिश्चित की जाये। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त आयोजन स्थल/आवागमन के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करा लिया जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल अफवाहों का खण्डन किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 29.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 41/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नन्दग्राम

- **25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.12.2024 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ए0एल0टी कट से राजनगर एक्स0 की तरफ जाने वाली सड़क से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—सौरव 2—राहुल 3—हिमांशु को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरव निवासी सेक्टर—9 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—राहुल निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—हिमांशु निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.12.2024 को थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुनारी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोनू निवासी के0के0 नगर उमाकुन्ज थाना सिकन्दरा कमिश्नरेट आगरा।

<u>जनपद श्रावस्ती/थाना हरदत्तनगर गिरण्ट</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 29.12.2024 को थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवरा नहर पुल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ गोकुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–श्रवण कुमार उर्फ गोकुल निवासी अचरौरा शाहपुर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—20

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 05 हजार रूपये नगद**
- **आधार कार्ड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.12.2024 को थाना सेक्टर—20 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीएलएफ तिराहा के पास दो पहिया वाहन सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अनस 2—शाहनवाज 3—समीर 4—एजाज आलम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 05 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर—20 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर—20 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनस निवासी न्यू अशोकनगर दिल्ली, मूलपता ग्राम चिरोहाट जनपद अररिया बिहार।

2–शाहनवाज निवासी नया बांस सेक्टर–15 नोएडा थाना फेस–1 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, मूलपता दाढ़ी भवानीपुर थाना किशनपुर जनपद सुपौल बिहार।

3–समीर निवासी जे0जे0 कॉलोनी सेक्टर–16 थाना फेस–1 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, मूलपता ग्राम ढेटी पलासी थाना मदनपुर जनपद अररिया बिहार।

4–एजाज आलम निवासी जे0जे0 कॉलोनी सेक्टर–16 थाना फेस–1 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, मूलपता ग्राम पटिंगा पलासी थाना ताराबाड़ी जनपद अररिया बिहार।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 05 हजार रूपये नगद।

2–आधार कार्ड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया, 01 तीन पहिया वाहन आदि।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 चार पहिया वाहन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.12.2024 को थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे से स्टेशन रोड के पास चार पहिया वाहन सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने

की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–लखन 2–आशीष 3–शकील घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे लूट की 01 चार पहिया वाहन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त लखन के विरूद्ध जनपद हरदोई, हरियाणा, मथुरा के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त आशीष के विरूद्ध जनपद हरदोई, मथुरा व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त शकील के विरूद्ध जनपद मथुरा व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 02 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चार पहिया वाहन लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लखन निवासी निजामपुर थाना पिहानी जनपद हरदोई।

2–आशीष निवासी निजामपुर थाना पिहानी जनपद हरदोई।

3–शकील निवासी पिहानी थाना पिहानी जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–लूट की 01 चार पहिया वाहन।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 08 हजार रूपये नगद**
- **लूट के चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 28.12.2024 को थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरनाकी पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–काला 2–रवि उर्फ रवीश 3–छोटू 4–आकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 08 हजार रूपये नगद, लूट के चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22/23.12.2024 को थाना चरथावल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–काला निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

2–रवि उर्फ रवीश निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

3–छोटू निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

4–आकाश निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के 08 हजार रूपये नगद।

2–लूट के चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 49 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने के आभूषण, 13 मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा आदि बरामद**

दिनांक 29.12.2024 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भमरा कट से सोहनपुर रजवाहे पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–वसीम उर्फ हसीन 2–फैसल, 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 49 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने के आभूषण, 13 मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.12.2024 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वसीम उर्फ हसीन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग एवं अभियुक्त फैसल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम उर्फ हसीन निवासी चौधरीवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–फैसल निवासी चौधरीवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 49 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने के आभूषण, 13 मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा आदि।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 610 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 29.12.2024 को थाना जैत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैत कट के पास से अभियुक्त सरबजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 610 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरबजीत निवासी ग्राम थुवा थाना गुनौर जनपद पटियाला पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 610 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

एस0टी0एफ0–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 5.920 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 29–12–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 तस्करों को 5.920 किलो ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– सिद्धार्थ कुमार पुत्र अनिल कुमार श्रीवास्तव वर्ल्ड नंबर 26 मोहल्ला चंदवारी, थाना मोतीहारी, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार

2– अमित कुमार पुत्र दिलीप कुमार वार्ड नंबर 36 आईटीआई कॉलोनी, थाना मुफस्सिल, जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार

बरामदगी–

1– अवैध चरस 5.920 कि0ग्रा0 (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)

2– 03 अद्द मोबाइल

3– एक अद्द एटीएम कार्ड

4– 5,165 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

अयोध्या लखनऊ हाईवे निकट ग्राम छत्रसाल थाना– सतरिख, जनपद बाराबंकी दिनांक 29–12–2024 समय करीब 2:30 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करो के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 29–12–2024 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति नेपाल से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (चरस) लेकर गोरखपुर से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली/कोटा जायेगा। इस सूचना पर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, हे0का0 राघवेन्द्र तिवारी, हे0का0 चेतन सिंह, का0 सुधीर कुमार, मु0आ0 कमाण्डो राम विलास की टीम लखनऊ–अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग थाना क्षेत्र सतरिख, जनपद बाराबंकी स्थित अयोध्या लखनऊ हाईवे निकट ग्राम छत्रसाल पर घेराबंदी कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगणों से अलग–अलग कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम दोनों लोग नेपाल राष्ट्र से अवैध रूप से थोड़ी–थोड़ी मात्रा में चरस लाकर अपने घर पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में इकट्ठा करते हैं। जब चरस 5 या 6 किलो हो जाती है तो इसको हम लोग अपने जनपद चंपारण बिहार से बस द्वारा गोरखपुर ले आते हैं और गोरखपुर से जयपुर की बस से यह अवैध चरस ले जाकर

जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क करता है, वह अपने को मिश्रा बताता है। पूरा नाम पता हम लोगों को नहीं बताता है और हम लोग उसको माल देकर और पैसा नगद लेकर बस से ही गोरखपुर और गोरखपुर से बस द्वारा अपने घर बिहार चले जाते हैं और वह कहां–कहां भेजता है इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है।

जयपुर में माल लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी में मु0अ0स0 546/2024 धारा–8/20 (B)(C) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————